FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बाबूसिंह बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 537 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2022/69	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2022	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.11.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
07/11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/11/22 को पेश हो। 2	
11/11/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद तामील बार-बार आवाज दिलवाने पर भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। [illegible] प्रार्थी सुनी गयी [illegible] पत्रावली दिनांक 21-11-2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2024.11.30 13:42:07 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2/11/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम हसामपुर पटवार हल्का हसामपुर स्थित खसरा नंबर 1226/179 रकबा 0.09 हेक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम हसामपुर पटवार हल्का हसामपुर स्थित खसरा नंबर 1226/179 रकबा 0.09 हेक्ट0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.11.2017 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ़्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner